

2023
21

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

| | | |
|------------|---|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय सरकार बनाम वच्युसिंह किस्म मुकदमा:- डा. पृष्ठ 86 R.T. Act मिसल नंबर: 89/23 | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये। |
|------------|---|--|

13⁰¹/₂₃ पनावली आप पैरोकार सरकार ने पत्र लिखा है, जैसा आपल को नार्तिष जारी किये
बाबर पनावली दिनांक 16/01/23 की पत्र

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०

16⁰¹/₂₃
~~वच्युसिंह~~

पनावली आप पत्र है, जैसा आपल स्वयं
उपर, जैसा आपल ने जबाब पत्र लिखा
जैसा आपल ने अपने जबाब में जवाब
दिया कि धरेल्ल काम लेने के लिए मैंने
चार मिनट के वेशे को काय था, बसा
कानून की अनभिज्ञता के कारण मैंने इस
कल्प किया है मेरे अंत कटे गये वेशे
की लकड़ियों को ज्वरत सरकार किये जाने
में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

वच्युसिंह

पनावली का अवलोकन किया गया व
पत्र लिख जबाब जार्थना पत्र का अवलोकन
किया गया अतः आदेश है कि अज्ञानी
ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की मजूरी
के हरे वेशे को काय है जोकि अज्ञानी
ने अपने जबाब में उठूल किया है अतः
अज्ञानी श्री वच्युसिंह पुत्र राजाचरण कौश
थरि निवासी पालका पर प्रति पेड
कटे गये प्रति पेड 100/- अंकेन सौ
रुपये पेड अथवा कुल 400/- अंकेन
चार सौ रुपये का हर्षुभना लगाया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय साकाल बनाम व्यूहिडे किरम मुकदमा:- 91/23 86 P.G. Act मिसल नंबर: 09/23 | अ हुक में |
|-------------|--|-----------------|

आवेग है तथा उहसीलडाट सीकरी को -
आदेशित किया जाग है कि हजने
उम्ह राशि एवं बस्तुडा लकडियों
से नियमानुसार निलाभी कट निलाकी
से उाह राशि को जमा राजकोष
कराया जाकट पालना से न्यायालय
को अकाल कराया जाना सुनिश्चित
करे। निर्णय आज मेरे डाय लिखा
जाकट खुले न्यायालय मे सुनाया
जाया। पगावली ईतल सुमा खेकट
डाखिल उपरत है।

(सुटेड उताड)

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०